आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या– 3/14–15

इन्द्रदेव प्रसाद बनाम सरकार

आदेश

23/9/14

यह अपील वाद इन्द्रदेव प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत रामनगर बनकट, प्रखण्ड मझौलिया के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया का आदेश ज्ञापांक 156/आ0, दिनांक 28.03.2014 जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 02/2008 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है।

निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा दिनांक 04.02.2014 को 12.50 बे अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दुकान के निरीक्षण के क्रम में निम्न अनियमितता पायी गयी :–

1. जांच के समय उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा उन्हें माह जून 2013 के खाद्यान्न की आपूर्ति समय से नहीं की गयी।
2. विक्रेता द्वारा माह जुलाई 2013 एवं अगस्त 2013 के खाद्यान्न का उठाव कर माह जून 2013 एवं जुलाई 2013 के विरूद्ध वितरण किया गया है।
3. विक्रेता द्वारा माह सितम्बर 2013 का खाद्यान्न उठाव कर माह अगस्त 2013 के विरूद्ध वितरण करना चाहते थे, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया है।
4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया के समक्ष माह अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2013 दोनों माह का खाद्यान्न

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	दिनांक 05.02.2013 एवं तक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु आपके द्वारा लिखित दिया गया था, परंतु निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। 5. विक्रेता का व्यवहार उपभोक्ताओं के साथ अच्छा नहीं है। 6. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा एक माह का खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी गयी है, जिसके कारण संबंधित उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित होना पड़ा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 का उल्लंधन है। उपर्युक्त वर्णित अनियमितताओं के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 72/आ0, दिनांक 12.02.2014 द्वारा जन वितरण प्रणाली के विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी का कहना है कि चूंकि हर माह का खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम से उनको उसी माह में नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति में बैक लॉग चलने के कारण आगे के माह का उठाव कर के पीछे के माह का वितरण किया जाता था। जो लोग जनता दरबार में कूपन लेकर गये उनके अलावें अन्य लोगों को कूपन लेकर खाद्यान्न दिए हैं। कुछ फर्जी दूसरे क्षेत्र का कूपन तथा मृत व्यक्तिओं के कूपन उपलब्ध कराया गया है। सम्यक विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया को आदेश दिया जाता है कि वे जांच करें कि जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2013 माह का	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	बी0पी0एल0/अन्त्योदय का कितना खाद्यान्न का उठाव किया गया है, कितने खाद्यान्न का वितरण दिखाया गया है, वितरण के आलोक में कितने खाद्यान्न का कूपन पाया गया तथा वितरण के बाद शेष खाद्यान्न स्टॉक में था या नहीं के बिन्दु पर अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी जांच कर पुनः आदेश पारित करेंगे। यदि जांच में यह पाया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी नहीं की गयी है तो उसकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करेंगे, अन्यथा पाए जाने पर अन्य उचित आदेश पारित करेंगे। उपरोक्त निदेश के साथ पुनः सुनवाई हेतु इस मामले को अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया को वापस किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14	